तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/3933/2005/पाली मोहन बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29-07-2025	**खण्ड-पीठ** **श्री आर0 डी0 मीणा, सदस्य** **कमला अलारिया, सदस्य** उपस्थितः- श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलांट्स श्री श्रीनिवास बेनिवाल, उपराजकीय अभिभाषक श्री गोरव दवे, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 ता 4 श्री रमजान मोहम्मद, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 5 **-निर्णय-** अपीलांट्स ने यह द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09-06-2005 जिसके द्वारा अपीलांटस् की अपील को कतिपय निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोड्ेन्ट संख्या 1/वादी राज्य पक्ष द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर, पाली के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि आराजी जैर सरहद खैरवा तहसील पाली के खसरा नम्बर 1697 व 1698 क्रमशः रकबा 15 बिस्वा एवं 74 बीघा कुल रकबा 74 बीघा 15 बिस्वा भूमि का बेचान अनुसूचित जाति के सदस्य के द्वारा स्वर्ण जाति के सदस्य को किया गया है। उक्त विक्रय पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के प्रावधानों के विपरीत होने से वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज करने की मांग की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री 29-05-2004 के माध्यम वादग्रस्त आराजी का किया गया विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 व 42 के प्रावधानों के विपरीत मानते हुए वादपत्र को स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष अपील पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 09-06-2005 से अपीलांट्स की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए व एआईआर 1969 सर्वोच्च न्यायालय 597 की प्रभावी सूची के अनुसरण में निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर उक्त द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/3933/2005/पाली मोहन बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि आराजी जैर सरहद खैरवा तहसील पाली के खसरा नम्बर 1697 व 1698 क्रमशः रकबा 15 बिस्वा एवं 74 बीघा कुल रकबा 74 बीघा 15 बिस्वा लगान 100/– भूमि के बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी राज्य पक्ष द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर, पाली के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र पेश करते हुए कथन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 से 4 द्वारा दिनांक 18–05–1976 को अपीलांट् संख्या 1 मोहन व अपीलांट् संख्या 2 लगायत 4 के पिता शिवजी माली को किया गया। उक्त बेचान अनुसूचित जाति के सदस्य के द्वारा स्वर्ण जाति के सदस्य को किये जाने से उक्त तथाकथित विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 व धारा 175 के प्रावधानों के विपरीत होने से वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज करने की मांग की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के तहत दावा, जवाबदावा, काउन्टर क्लेम के आधार पर आवश्यक तनकीयात् कायम करते हुए उपरोक्त विक्रय पत्र को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 व धारा 42 के प्रावधानों के विपरीत मानते हुए विधि विरूद्ध तरीके से निर्णय व डिक्री 29–05–2004 को वादी राज्य पक्ष का वादपत्र स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बावरी जाति को बावरिया व चौकीदार का पर्याय होना मानते हुए दावा डिक्री किया गया। जबकि रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 ता 4 अनुसूचित जाति के सदस्य न होकर स्वर्ण जाति के सदस्य है क्योंकि अजमेर क्षेत्र के अतिरिक्त राजस्थान राज्य के अन्य क्षेत्र के लिए अनुसूचित जाति में बावरी जाति सम्मिलित नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के वादपत्र को स्वीकार करने में विधि एवं कानून संबंधी त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नोटिफिकेशन/सर्कुलर आदि के परिप्रेक्ष्य में एवं विक्रय संव्यवहार के वक्त अर्थात् दिनांक 18–05–1976 को विक्रेता रतना बावरी अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता था या नहीं इस बाबत् उभयपक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर पदान करने के उपरान्त निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने आगे कथन किया कि प्रथम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/3933/2005/पाली मोहन बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलीय न्यायालय द्वारा यह अपेक्षित था कि वे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री से असहमत है तो ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वादपत्र पर विधिक प्रावधानों के अनुसरण में साक्ष्य, सबूत, एआईआर 1969 सर्वोच्च न्यायालय 597 की प्रभावी सूची के अनुसरण में व तनकीयात् कायम करते हुए उनके विवेचन एवं विश्लेषण उपरान्त निर्णय पारित करना चाहिए था। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश 41 नियम 23 के विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रकरण को रिमाण्ड करते हुए वाद को बढ़ावा देने में विधि एवं कानून संबंधी कारित की है जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। लिहाजा अपीलांट्स की हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री अपास्त किये जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1984 पेज 380 व आरआरडी 1981 पेज 571 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये। विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि चूंकि वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 लगायत 5 है। वादग्रस्त आराजी का विक्रय दिनांक 18-05-1976 को अपीलांट् संख्या 1 लगायत 4 जाति माली को किया गया जोकि स्वर्ण जाति के सदस्य है। उक्त हस्तांतरण अनुसूचित जाति के सदस्य के द्वारा स्वर्ण जाति के सदस्य को किया गया। इस प्रकार उक्त हस्तांतरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध होने से अधीनस्थ न्यायालय निर्णय व डिक्री पारित करते हुए विधि सम्मत तरीके से वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये जिसमें किसी प्रकार की विधि एवं कानून संबंधी त्रुटि कारित नहीं की गई। इसके विपरीत प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा मात्र अपीलांट्स के कथनों पर विश्वास करते हुए प्रचलित विधि के विपरीत जाकर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण पक्षकारान् को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। अतः अपीलांट्स द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 ता 4 द्वारा बहस करते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि के बेचान के समय बावरी जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं होने से बतौर स्वर्ण जाति वादग्रस्त भूमि का बेचान अपीलांट्स को विधिक प्रावधानों के अनुसरण में किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण में आराजी जैर के बाबत् राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति के संबंध में जारी अनुसूची के विपरीत जाकर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/3933/2005/पाली मोहन बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आक्षेपित आदेश पारित किये गये है। जो पुष्टि योग्य नहीं होने से खारिज किये जावे। रेस्पोडेन्ट् संख्या 5 के फौत होने एवं उनके विधिक वारिसान पूर्व से ही पत्रावली पर बतौर रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 ता 5 उपस्थित होने के कारण रेस्पोडेन्ट् संख्या 5 का नाम आदेश दिनांक 04–06–2025 के माध्यम से अपील से तर्क किया जा चुका है। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन व परिशीलन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट् संख्या 1/वादी राज्य पक्ष द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर, पाली के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आराजी जैर सरहद खैरवा तहसील पाली के खसरा नम्बर 1697 व 1698 क्रमशः रकबा 15 बिस्वा एवं 74 बीघा कुल रकबा 74 बीघा 15 बिस्वा भूमि का बेचान अनुसूचित जाति के सदस्य के द्वारा स्वर्ण जाति के सदस्य को विधिक प्रावधानों के विपरीत किया गया होने से आराजी जैर को सिवायचक दर्ज रिकार्ड किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री 29–05–2004 के माध्यम से राज्य पक्ष का दावा स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है, जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष अपील पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पक्षकारान् को साक्ष्य, सबूत व सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट् द्वारा उक्त द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रकरण में हस्तगत् द्वितीय अपील के माध्यम से विचारणीय/निर्धारण योग्य बिन्दु यह है कि क्या वादग्रस्त भूमि का दिनांक 18–05–1976 को किया गया बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 का उल्लंघन है अथवा नहीं? यहां यह अभिलिखित किया जाना समीचीन होगा कि धारा 42 का समावेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दिनांक 01–05–1965 को किया गया था, जिसका उद्देश्य यह रहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के काश्तकार व्यक्तियों के द्वारा धारण की गई भूमियों को सुरक्षित रखा जावे ताकि ऐसी भूमियों से जरिये काश्त उनके परिवार का पालन–पोषण एवं जीविकोपार्जन भली–भांति हो सके।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/3933/2005/पाली मोहन बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण में वादग्रस्त भूमि का मूल खातेदार रतना बावरी अनुसूचित जाति का सदस्य होने के संबंध में विरोधाभाषी तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट हुए है। इस संबंध में स्वीकृत स्थिति है कि बावरी जाति प्रारम्भ से ही अनुसूचित जाति में सम्मिलित रही है तथा पाली जिले में बावरी जाति बावरिया एवं चौकीदार के नाम से ही जानी जाती है जोकि मौलिक रूप से बावरी जाति का अपभ्रंश शब्द है। इस प्रकार बावरी, बावरिया, चौकीदार मूल रूप से बावरी जाति में सम्मिलित है। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि का बेचान दिनांक 18-05-1976 से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा स्वर्ण जाति के व्यक्तियों के पक्ष में किया गया है जो प्रचलित विधिक प्रावधनो/नियमों के मध्यनजर प्रारम्भ से ही (Void) शून्य है। अनुसूचित जाति का सदस्य अपनी खातेदारी भूमि को किसी स्वर्ण जाति के व्यक्ति को विक्रय नहीं कर सकता है। अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा स्वर्ण जाति के सदस्य के पक्ष में किया गया पंजीकृत विक्रय पत्र वर्तमान प्रचलित नियमों तथा धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से प्रभावहीन व शून्य माना जाता है। धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निन्नानुसार उद्धरित किया गया हैः- **Section-42. <u>Gerneral restrictions on sale, gift and bequest -</u>** The sale, gift or bequest by a khatedar tenant of his interest in the whole or part of his holding shall be void,if- (b) Such sale, gift or bequest is by member of Scheduled Caste in favour of a person who is not a member of the Scheduled caste, or by a member of Scheduled Tribe in favour of a person who is not a member of the Schedueld Tribe. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए आराजी जैर का बेचान अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा स्वर्ण जाति के पक्ष किये जाने को विधि विरूद्ध मानते हुए वादपत्र को स्वीकार किया गया है। इसके विपरीत अपीलीय न्यायालय द्वारा मात्र कयासों के आधार पर अपील को विधि में प्रचलित प्रावधानों के विपरीत जाकर पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने में विधि एवं तथ्य संबंधी त्रुटि कारित किया जाना परिलक्षित होने से अपीलांट्स की हस्तगत् द्वितीय अपील अस्वीकार कर खारिज योग्य पाई जाती है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/3933/2005/पाली मोहन बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परिणामतः अपीलांट्स की द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 29–05–2004 यथावत् बहाल रखा जाता है साथ ही राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09–06–2005 अपास्त किया जाता है। आदेश की सूचना जरिये कम्प्यूटर विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष को दी जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील व दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(कमला अलारिया)** **सदस्य** **(आर0 डी0 मीणा)** **सदस्य**	